झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(मनरेगा आयुक्त का कार्यालय)

पत्रांक-13-201/अभिषरण/2014/ ग्रा0 वि0 - (M) 1735 (ग्रा.वि.) राँची, दिनांक 4.12.14

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार
मनरेगा आयुक्त

सेवा में,

निदेशक, बागवानी मिशन
कृषि एवं गन्ना विभाग,
नेपाल हाउस, झारखंड, राँची।

विषय- मनरेगा एवं कृषि एवं गन्ना विभाग (बागवानी) के कार्यों में अभिषरण (convergence) के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विदित है कि मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I में अनुमान्य कार्यों, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, में कुल कार्य लागत का कम-से-कम 60% पर व्यय करना बाध्यकारी किया गया है। कार्यों के परिणामोन्मुखी (Outcome Orientation) होने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए मनरेगा तथा मत्स्य प्रक्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों / प्रयासों के बीच अभिषरण, समन्वय की अनिवार्यता / आवश्यकता से भी आप अवगत हैं। सुलभ प्रसंग हेतु अधिनियम की अनुसूची-1 पत्र के साथ संलग्न है।

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में मनरेगा अभिषरण पर संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बागवानी निदेशालय (कृषि विभाग) के उपयुक्त कार्यक्रमों के बीच अभिषरण की कार्य-योजना निरुपण पर दिनांक 21.11.14 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संपन्न बैठक में लिए गए निर्णयों का कृपया संदर्भ लिया जाए।

दिनांक 21.11.14 की बैठक में आपके साथ विचार-विमर्श कर लिए गए निर्णय के आधार पर प्राथमिकता के रुप में निम्न न्यूनतम कार्य-योजना को कार्यान्वित करने की कार्रवाई करने की कृपा की जाए-

1. National Horticulture Mission के माध्यम से आच्छादित किए जाने वाले 6000 हेक्टेयर लक्षित भूमि के लिए Fencing and Irrigation की व्यवस्था मनरेगा के माध्यम से किया जाए। इसमें Trench तथा Vegetative Fencing की गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी।
2. NHM/Non-NHM परियोजनाओं के लिए सिंचाई सुविधा के विकास हेतु 100 फीटX100 फीटX12 फीट आकार के 800 तालाब मनरेगा से किए जाएँ,
3. नर्सरी के विकास/संवर्द्धन के लिए Gaps की पहचान कर मनरेगा से अपेक्षित सहयोग के कार्यों की सूची उपायुक्त, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाए,

4. वैसे 12 जिले, जहाँ जिला उद्यान पदाधिकारी पदस्थापित हैं, के सभी प्रखंडों में कम-से-कम एक नर्सरी स्थापित करने या स्थापित नर्सरी के विकास/संवर्द्धन के लिए Gaps की पहचान कर मनरेगा से अपेक्षित सहयोग के कार्यों की सूची उपायुक्त, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाए,
5. देवघर जिला में धतूरा का बाजार एवं धतूरा के Medicinal Properties को देखते हुए इसके रोपण के लिए इच्छुक अनुमान्य व्यक्तियों एवं भूमि की पहचान ATMA के माध्यम से करते हुए मनरेगा से कार्यान्वयन हेतु कार्य-योजना में सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए
6. सभी जिलों के प्रत्येक ग्राम पंचायत 1-2 (या प्रत्येक प्रखंड में 5 अनिवार्य रुप से) इच्छुक अनुमान्य व्यक्तियों एवं उनके भूमि की पहचान ATMA के माध्यम से करते हुए मनरेगा से "बगीचा" निर्माण हेतु कार्य सूची कार्य-योजना में सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए,
7. Homestead, ICDS centre, School आदि संभाव्य स्थलों का चयन कर वहाँ Kitchen Garden की योजना प्रस्ताव समर्पित की जाए,
8. अनुमान्य व्यक्तियों एवं उनके भूमि की पहचान ATMA के माध्यम से करते हुए मनरेगा से "बगीचा" निर्माण हेतु कार्य सूची कार्य-योजना में सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए।

विचार-विमर्श के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि बागवानी निदेशालय के माध्यम से उपर्युक्त प्रस्तावित कार्यों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल लगभग 100.00 करोड़ व्यय की संभावना है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त भी जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सारगर्भित चर्चाओं से अन्य अनेक संभावनाएँ स्पष्ट होंगी। मनरेगा तथा बागवानी निदेशालय के कार्यक्रमों में Convergence हेतु निम्न कार्रवाईयाँ अपेक्षित हैं-

a) अपने जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को क्रमशः जिला के उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन सेवक, कृषक मित्र को ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत सेवक/ग्राम रोजगार सेवक से लगातार संपर्क/समन्वय बनाने का निर्देश दिया जाए;
b) उन्हें यह भी निर्देश दिया जाए कि वे अविलंब मनरेगा के वार्षिक कार्य-योजना/श्रम बजट निरुपण की प्रक्रिया (Intensive Participative Planning Exercise-IPPE) में सम्मिलित होकर अपने प्रक्षेत्र के कार्यों के समावेश हेतु प्रस्तावों के समर्पण के साथ ही ग्राम सभा में अपेक्षित जानकारियाँ देते हुए उनके सम्मिलन का अभिनिश्चयन करें;
c) प्रत्येक कार्य के अनुमानित लागत की जानकारी जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने तथा जनवरी-फरवरी माह 2015 तक सभी कार्यों के पृथक-पृथक कार्य-स्थल की वास्तविकता के अनुरुप प्राक्कलन (उनकी तकनीकी स्वीकृति सहित) उपायुक्त को वे समर्पित करें, ऐसा भी निर्देश दिया जाए;
d) उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम के द्वारा आपके क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उनकी क्षमताओं का आकलन करते हुए कार्यान्वयन इकाई का दायित्व दिया जाएगा; ऐसे दिए गए दायित्व के अनुपालन का उन्हें निर्देश दिया जाए;

e) अपने प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर के क्षेत्रीय पदाधिकारी मनरेगा कार्य-योजना/श्रम बजट/IPPE से संबंधी ग्राम सभा में निश्चित रुप से भाग लें, ऐसा सुनिश्चित करने का निर्देश जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिया जाए;

f) सभी संबंधित को मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत निदेशों का भी पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाए;

g) उन्हें यह भी निर्देश दिया जाए कि ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति में वे तकनीकी ज्ञान के संप्रेषण, प्रशिक्षण, क्षमता अभिवृद्धि, पर्यवेक्षण, अनवरत अनुश्रवण, मूल्यांकन का अभिनिश्चयन करेंगे;

h) निदेशालय/जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा मनरेगा कोषांग/जिला/प्रखंड/ग्राम पंचायत को संलग्न प्रपत्र में प्रारंभिक प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।

i) निदेशालय या विभागीय स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के Convergence Cell के पदाधिकारी भाग लेगे अतः बैठकों की सूचना राज्य मनरेगा कोषांग को दी जाए;

j) प्रत्येक माह के 15 तारीख (अवकास की स्थिति में अगले दिन) ग्रामीण विकास विभाग में उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक में निदेशक स्वयं भाग लेने की कृपा करें;

k) ATMA द्वारा सभी जिलों में अभिषरण की कार्य-योजना निरुपण, IEC, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, मूल्यांकन में उपायुक्त को सभी यथोचित सहयोग प्रदान किया जाएगा ताकि विकास का समग्र प्रयास संभव हो।

अनुरोध है कि उपर्युक्त बिंदुओं के त्वरित अभिनिश्चयन हेतु सम्यक कार्रवाई की जाए ताकि मनरेगा तथा आपके निदेशालय के कार्यक्रमों को बीच उद्येश्यपूर्ण अभिषरण (convergence) संभव हो सके।

विश्वासभाजन,

3.12.14

(राहुल कुमार पुरवार)
मनरेगा आयुक्त।

अनु- यथोक्त

ज्ञापांक-13-201/अभिषरण /2014/ ग्रा0 वि0 (M) 1735 राँची, दिनांक 4.12.14

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि मनरेगा तथा अपने विभागीय कार्यक्रमों के बीच अभिषरण के लिए संबंधित निदेशक तथा जिला/क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाए।

3.12.14

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक-13-201/अभिषरण /2014/ ग्रा0 वि0 (N) 1735 (अनु) राँची, दिनांक 4.12.14

प्रतिलिपि- निदेशक, आत्मा/ उप निदेशक, कृषि एवं गन्ना विभाग झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.14

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक -13-201/अभिषरण /2014/ ग्रा0 वि0 (N) 1735- (अनु) राँची, दिनांक 4.12.14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि मनरेगा तथा अपने विभागीय कार्यक्रमों के बीच अभिषरण के लिए बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन का अभिनिश्चयन की समीक्षा अपने स्तर से भी करने की कृपा की जाए।

3.12.14

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक -13-201/अभिषरण /2014/ ग्रा0 वि0 (N) 1735-(अनु) राँची, दिनांक 4.12.14

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.14

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक -13-201/अभिषरण /2014/ ग्रा0 वि0 (N) 1735 (अनु) राँची, दिनांक 4.12.14

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.14

मनरेगा आयुक्त।

2. In the National Rural Employment Guarantee Act 2005, for Schedule I and II, the following shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE - I

[See section 4 (3)]

MINIMUM FEATURES OF A RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME

1. The Scheme notified under section 4 by all States shall be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" and all documents pertaining to the said Scheme shall have a mention of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005).

2. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme shall hereinafter be referred to as "Mahatma Gandhi NREGS" and any reference in the said scheme to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 shall be referred to as "Mahatma Gandhi NREGA".

3. The core objectives of the Scheme shall be the following:

(a) Providing not less than one hundred days of unskilled manual work as a guaranteed employment in a financial year to every household in rural areas as per demand, resulting in creation of **productive assets** of prescribed quality and durability;
(b) Strengthening the **livelihood resource** base of the poor;
(c) Proactively ensuring social inclusion and
(d) Strengthening Panchayat raj institutions.

Provided that the said objectives are applicable where the adult members volunteer to do unskilled manual work subject to the conditions laid down by or under this Act and in the Scheme.

4. (1) The focus of the Scheme shall be on the following works as categorised below:

I. Category: A:PUBLIC WORKS RELATING TO NATURAL RESOURCES MANAGEMENT -
(i) **Water conservation** and water harvesting structures to augment and improve groundwater like underground dykes, earthen dams, stop dams, check dams with special focus on recharging ground water including drinking water sources;
(ii) **Watershed management** works such as contour trenches, terracing, contour bunds, boulder checks, gabion structures and spring shed development resulting in a comprehensive treatment of a watershed;
(iii) Micro and minor irrigation works and creation, renovation and maintenance of **irrigation** canals and drains;
(iv) Renovation of **traditional water bodies** including desilting of irrigation tanks and other water bodies;
(v) **Afforestation,** tree plantation and horticulture in common and forest lands, road margins, canal bunds, tank foreshores and coastal belts duly providing right to usufruct to the households covered in Paragraph 5; and
(vi) Land development works in common land.

II. Category B: INDIVIDUAL ASSETS FOR VULNERABLE SECTIONS (ONLY FOR HOUSEHOLDS IN PARAGRAPH 5)
(i) **Improving productivity of lands** of households specified in Paragraphe5 through land development and by providing suitable infrastructure for irrigation including dug wells, farm ponds and other water harvesting structures;
(ii) **Improving livelihoods through** horticulture, sericulture, plantation, and farm forestry;
(iii) **Development of fallow** orwaste **lands** of households defined in Paragraph 5 to bring it under cultivation;
(iv) Unskilled wage component in **construction of houses** sanctioned underthe Indira Awaas Yojana or such other State or Central Government Scheme;
(v) Creating infrastructure for **promotion of livestock** such as, poultry shelter, goat shelter, piggery shelter, cattle shelter and fodder troughs for cattle; and
(vi) Creating infrastructure for **promotion of fisheries** such as, fish drying yards, storage facilities, and promotion of fisheries in seasonal water bodies on public land;

III. Category C: COMMON INFRASTRUCTURE FOR NRLM COMPLIANT SELF HELP GROUPS
(i) Works for promoting **agricultural productivity** by creating durable infrastructure required for bio-fertilizers and post-harvest facilities including pucca storage facilities for agricultural produce; and
(ii) Common work-sheds for livelihood activities of self-help groups.

IV. Category D: RURAL INFRASTRUCTURE:
(i) **Rural sanitation** related works, such as, individual household latrines, school toilet units, Anganwadi toilets either independently or in convergence with schemes of other Government Departmentsto achieve 'open defecation free' status. and solid and liquid waste management as per prescribed norms

(ii) Providing all-weather rural **road connectivity** to unconnected villages and to connect identified rural production centres to the existing pucca road network; and construction of pucca **internal roads**orstreets including side drains and culverts within a village;

(iii) Construction of **play fields;**

(iv) Works for improving **disaster preparedness or restoration** of roads or restoration of other essential public infrastructure including flood control and protection works, providing drainage in water logged areas, deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection;

(v) Construction of **buildings** for Gram Panchayats, women self-help groups' federations, cyclone shelters, Anganwadi centres, village haats and crematoria at the village or block level.

(vi) Construction of **Food Grain Storage Structures** for implementing the provisions of The National Food Security Act 2013 (20 of 2013);

(vii) Production of building material required for construction works under the Act as a part of the estimate of such construction works.

(viii) **Maintenance** of rural public assets created under the Act; and

(ix) **any other work** which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government in this regard.

(2) The order of priority of works shall be determined by each Gram Panchayat in the meetings of the Gram Sabha keeping in view potential of the local area, its needs, local resources and in accordance with the provisions of Paragraph 9.

(3) Works which are non-tangible, not measurable, repetitive such as, removing grass, pebbles, agricultural operations, shall not be taken up.

5. Works creating **individual assets** shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to the:

(a) Scheduled Castes
(b) Scheduled Tribes
(c) nomadic tribes
(d) denotified tribes
(e) other families below the poverty line
(f) women-headed households
(g) physically handicapped headed households
(h) beneficiaries of land reforms
(i) the beneficiaries under the Indira Awaas Yojana
(j) beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and

and after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, on lands of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 subject to the condition that such households shall have a job card with at least one member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.

6. The State Government shall take concrete steps to achieve effective inter-departmental convergence till the last mile implementation level of the works under the Scheme with other Government Schemes/ programmes so as to improve the quality and productivity of assets, and bring in synergy to holistically address the multiple dimensions of poverty in a sustainable manner.

7. There shall be a systematic, participatory planning exercise at each tier of Panchayat, conducted between August to December month of every year, as per a detailed methodology laid down by the State Government. All works to be executed by the Gram Panchayats shall be identified and placed before the Gram Sabha, and such works which are to be executed by the intermediate Panchayats or other implementing agencies shall be placed before the intermediate or District Panchayats, along with the expected outcomes.

8. Demand for work, either oral or written, shall be registered as and when required by any job card holder and in the Rozgar Diwas which is to be conducted at every Ward and Gram Panchayat level at least once a month, leading to provision of work as per demand.

9. (1) Adequate shelf of works shall be maintained by every Gram Panchayat to meet the expected demand for work in such a way that at least one labour intensive public work with at least one work which is suitable for Particularly Vulnerable Groups especially the aged and the disabled which shall be kept open at all times to provide work as per demand.

(2) The details of the said work(s) shall be prominently displayed through writingson the walls of the village.

10. While opening works in the public works category, it shall be ensured that the ongoing or incomplete works should be completed first.

30 cr/14-4